

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करता है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फिर सिद्ध केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 810 दिनांक 14/2/2020

श्री +
आवासीय
श्री. इमरुत बायली डा. श्री मोहनलाल वरानी
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय श. No: 5-स. 24 चौपासी
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश शडमिज बोर्ड
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8342/- जमा
जरिये रसीद संख्या 9069/4764, 4765
दिनांक 14/2/2020 को जमा करा दी है ।

15/2/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

9413029994

शुभिवशास्त्र